LATEST
NEWS

Election

Date : 27th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:
CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

कार्यग्रहण नहीं करने वाले बीएलओ को किया निलंबित

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर ने जारी किए निलंबन आदेश

जयपुर, 26 दिसंबर (विशेष संवाददाता): निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 व धारा 13 13 (ग) (ग) की प्रदत्त शक्तियों के तहत एवं राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी आदर्श नगर ने बताया कि नगर निगम, जयपुर (मुख्यालय) के कनिष्ठ सहायक, कमल चन्द डाबोडिया को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया गया था। दूरभाष पर कार्यालय की एसआईआर टीम एवं सहायक निर्वाचक अधिकारी/सुपरवाइजर द्वारा बार-बार संबंधित कार्मिक को फोन के माध्यम से बीएलओ की ड्यूटी ज्वाइन करने के बारे में कहने पर भी उक्त कार्मिक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर नोटिस जारी होने के बावजूद कार्यग्रहण नहीं किया गया है। कार्मिक द्वारा ना तो निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की गई ना ही अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्मिक द्वारा चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में, घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे

चुनाव आयोग ने कहा 31 दिसम्बर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी

■ जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे उनमें से 1.26 करोड़ अपनी जगह पर नहीं मिले, 46 लाख मृत पाए गए, 23.37 लाख डुप्लीकेट मतदाता मिले, 83.73 लाख अनुपस्थित रहे, वहीं 9.97 लाख अन्य श्रेणियों के वोटर्स हैं।

लखनऊ, 26 दिसंबर। वोटर्स के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं। बता दें कि यूपी की वोटर लिस्ट में अभी तक 15.44 करोड़ नाम थे, लेकिन अब इसमें करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे, उनमें 1.26 करोड़ वोटर्स अपनी जगहों पर नहीं मिले। इसके अलावा, 46 लाख मृत पाए गए, जबकि 23.70 लाख वोटर्स डुप्लिकेट मिले। वहीं 83.73 लाख लोग अनुपस्थित मिले, जबकि 9.57 लाख अन्य कैटेगरी के वोटर्स हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके पब्लिश होने के बाद, से लेकर 30 जनवरी, 2026 तक दावे-आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे। सभी जांच-पड़ताल के बाद 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

चुनाव आयोग के मुताबिक, यूपी में मैपिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है, यानी साल 2003 की वोटर लिस्ट से वर्तमान वोटर लिस्ट का मिलान किया गया, जिसमें लगभग 91 प्रतिशत लोगों का डेटा मिलान हो चुका है। ऐसे वोटर्स के नाम उनके रिलेटिव्स जैसे मां-बाप, दादा-दादी या नाना-नानी से मिलाया गया है।

बाकी 9 प्रतिशत यानी, 1.11 करोड़ वोटर्स को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। जिन्हें अब अपनी पहचान साबित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग को देने होंगे।

उत्तर प्रदेश में फिलहाल 11 लाख से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म भर चुके हैं। जिन लोगों की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो रही है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बता दें कि एसआईआर के लिए यूपी के तमाम जिलों में विशेष कैंप लगाए गए। मतदान केन्द्रों पर बीएलओ को तैनात किया गया था। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि, बीएलए ने एसआईआर गणना फॉर्म को भरवाने में मदद की।

दैनिक भास्कर डूंगरपुर भास्कर 27-12-2025

SIR: जिले में 89 हजार वोटर्स घटे, जबकि 3 सीटों पर जीत का अंतर 60 हजार ही था

डूंगरपुर| जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। अब 15 जनवरी तक पात्र वोटर्स आपत्ति दर्ज करा कर अपना नाम जुड़वा या हटवा सकते हैं। जिले में 89 हजार 791 मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं उनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। इनमें 21,930 मृत, 45,371 स्थाई शिफ्ट, 9,753 अनुपस्थित हैं।

12,135 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। हालांकि इसी दौरान वोटर्स के पंजीकरण के लिए फार्म-6 ऑनलाइन और ऑफलाइन बीएलओ के जरिए प्राप्त हो रहे है, जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। निर्वाचन अयोग 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां लेगा। इनकी संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची बनाएंगे। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन में प्रथम अपील अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को आपत्ति दी जा सकेगी। असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अगले 30 दिन में आपत्ति दे सकेंगे। सूचियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को होगा।

डूंगरपुर में 18462 के अंतर से थी जीत

जिले में 89,774 वोटर्स के नाम सूची से कटे हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में चार में से तीन सीटों पर जीत का अंतर 59,549 वोटों का ही रहा था। केवल चौरासी क्षेत्र में पिछले चुनाव में जीत का अंतर 69,166 था, लेकिन उप चुनाव में यही अंतर 24,370 रह गया था। पिछले चारों विस चुनाव के वोटर्स से तुलना करें तो 45,774 मतदाता कम हुए हैं। इनमें भी सर्वाधिक 31,801 महिला वोटर घटी हैं। खास यह भी है कि डूंगरपुर सीट पर जीत का अंतर 18,462 वोट का था जबकि यहां सबसे ज्यादा 28,955 वोटर कम हुए हैं। सागवाड़ा में जीत का अंतर 11,981 था और एसआईआर में यहां 19,981 वोटर्स के नाम कटे हैं।

विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स के कटे नाम और जीत का अंतर

विस क्षेत्र	नाम कटे	जीत का अंतर (2023)
डूंगरपुर	28955	18462
आसपुर	21226	29106
सागवाड़ा	19981	11981
चौरासी	19612	69166

ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद विधानसभावार इतने मतदाता

विस क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल वोटर
डूंगरपुर	126575	118687	245266
आसपुर	133676	125790	259468
सागवाड़ा	136861	128797	265662
चौरासी	127272	116009	243282